श्रीमती हीना कौसर

बनाम

सक्षम प्राधिकारी

(आपराधिक अपील नंबर 1058/2003)

24 अप्रेल, 2008

(एसबी सिन्हा और वीएस सिरपुरकर न्यायमूर्ति)

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 - धारा 68, धारा 68 सी का परंतुक, जैसा कि संशोधन अधिनियम (2001 की संख्या 9) द्वारा अन्तर्विष्ट किया गया है:

अवैध रूप से अर्जित संपत्ति रखने पर रोक-धारा 68C के परंतुक के संदर्भ में अपवाद जैसा कि 'परिसीमा अवधि के लिए उपबंध अधिनियम में संशोधन द्वारा जोड़ा गया हैं- प्रयोज्यता धारित- लागू नहीं-कथित तौर पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को राजसात करने के निर्देश देने वाला अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई-चूंकि अपीलकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी या उच्च न्यायालय संशोधित की गई धारा 68 के परन्तुक की प्रयोज्यता के बारे में कोई विवाद नहीं उठाया, उच्च न्यायालय द्ववारा याचिका निरस्त किये जाने का आदेश

अंतिमता ले चुका है-रिट कार्यवाही पर भी रचनात्मक प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होता है-संपत्तियों की ज़ब्ती के लिए कार्यवाही शुरू करने हेतु प्राधिकारियों द्वारा परिसीमा का आह्वान नहीं करना संविधान के अनुच्छेद 14 को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, यह ऐसा मामला नहीं है जिसके कि कानून की वैधता प्रश्न में है, इसके अलावा अधिनियम की धारा 68 सी के तहत संशोधित प्रावधान में परिसीमा अवधि की प्रयोज्यता को संसद द्वारा बाहर रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 को लागू करने का कोई मामला नहीं बनता है-भारतीय संविधान 1950 अनुच्छेद 14

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985-आर्थिक पहलू के दायरे पर चर्चा की गई।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अवैध परिवहन रोकथाम के प्रावधानों के तहत पति अपीलकर्ता के खिलाफ निवारक हिरासत का आदेश पारित किया। हालांकि उसके पति को पुलिस/अधिकारियों द्वारा हिरासत में नहीं लिया गया था। अधिनियम के अध्याय 5 ए के तहत अवैध रूप से अर्जित की गई संपतियों को राजसात करने के लिए उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर उसके विरूद्ध कार्यवाही शुरू की गई। व्यथित होकर उसने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर की।ट्रिब्यूनल ने संपत्तियों को राजसात करने के निर्देश दिये। अपीलांट ने रिट याचिका पेश कर आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय

द्वारा जहां तक संपत्ति के राजसात किये जाने के आदेश का प्रश्न है,याचिका खारिज की लेकिन तीन बैंक खाते की जब्ती के संबंध में मामला नये सिरे से सुनवाई हेतु ट्रिब्यूनल को भेजा गया। इस दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम संशोधित किया गया। अपीलार्थी द्वारा ट्रिब्यूनल के समक्ष उक्त संशोधन के संबंध में सुधार किये जाने के बाबत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया व प्रार्थना की कि उसके द्वारा व सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व में पारित आदेश को अपास्त किया जावे। ट्रिब्यूनल ने प्रार्थनापत्र निरस्त किया। आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। जिस पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि कानून में समावेशन के माध्यम से किया गया वर्गीकरण स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 68 ई के परंतुक को मान्यता नहीं देता है क्योंकि यह वर्ष 2001 के पूर्व की स्थिति थी। चूंकि अवैध परिवहन से संबंधित अपराध के लिए आरोपित किसी व्यक्ति जिसे निवारक हिरासत के अंतर्गत निरूद्ध किया गया है,के संबंध में छह वर्ष की परिसीमा अवधि उपलब्ध नहीं कराने का कोई वैध या ठोस कारण मौजूद नहीं था:आैर कारण बताओ नोटिस में ऐ ऐसा कोई कारण अंकित नहीं था, जिसे अधिनियम की धारा 68 एच के साथ पढी जाने वाली धारा 68 ई के साथ अंकित किया जाना आवश्यक था।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया

1.1 अपीलीय प्राधिकारी का आदेश रिट याचिका की विषय वस्तु थी। इस न्यायालय के समक्ष उठाये गये बिन्दू कथित प्राधिकारी या उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाये गये थे। उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 15.12.99 अंतिमता ले चुका है(पैरा 9)(975 सी)

1.2 विचाराधीन संपत्ति राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। उक्त कार्यवाही को दुबारा खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। केवल बैंक खातों के संबंध में मामले को रिमाण्ड किया गया था, जिसके लंबित रहने के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 68 सी का परंतुक जोडा गया था,यह अपने आप में ही अपीलार्थी को उन बिन्दुओ को उठाने के लिए सक्षम बनाने के लिए वाद कारण प्रदान नहीं करता है, जिन बिन्दुओ को वह पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में नहीं उठा सकता था। रचनात्मक प्रांग न्याय का सिद्धांत रिट कार्यवाहियों पर भी लागू होता है। (पैरा 9 व 10) (975-सी-एफ)

2.1 अधिनियम की धारा 68 सी के साथ जोडा गया परंतुक वर्ष 1989 से कानून की किताब में था, अपीलकर्ता के पति को वर्ष 1994 में ही हिरासत में लेने का आदेश दिया गया था। अधिनियम की धारा 68 डी के अंतर्गत वर्ष 1995 में नोटिस जारी किया गया था। केवल इसलिए कि बाद में संपत्तियों की जब्ती की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक समय सीमा

विहीत की गई, यह बात अपने आप में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के आवरण को आकर्षित करता है। (पैरा 11 व 12)(975-जी-एचः976-ए)

2.2 अब यह सुस्थापित हो चुका है कि कोई वैध व युक्तियुक्त वर्गीकरण मौजूद हो तो किसी कानून की वैधता को बरकरार रखा जा सकता है, इसलिए यह चाही गई वस्तु के साथ युक्तियुक्त व उचित संबंध रखने वाले पर्याप्त अंतर पर आधारित है।(पैरा 13) (976 बी)

2.3 कोई कानून संवैधानिक हो सकता है भले ही वह किसी व्यक्ति को प्रभावित करता हो। किसी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में एक उपधारणा मौजूद है। कानून असंवैधानिक है, यह साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो ऐसे आरोप लगाता है, सिवाय उन मामलों काे छोडकर जहां कानून को देखने से ही अन्य बातों के साथ-साथ मनमानापन दिखायी देता है तब कानून की संवैधानिकता के संबंध में सबूत का भार राज्य पर होता है। समानता के सिद्धांत का मतलब यह नहीं माना जा सकता कि प्रत्येक कानून का स्वभाव,उपलब्धि या परिस्थियों के संबंध में एक ही स्थिति के सभी व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक प्रयोज्यता हो। (पैरा 14) (976 सी-डी)

2.4 संसद द्वारा किसी कानून का संशोधन इसके अनुभव के आधार पर किया जाता है। यह विधायी नीति का मामला है आैर इस उद्देश्य के

लिए केवल असमानता ही प्रावधान की संवैधानिकता को निर्धारित करने के लिए एक मात्र कारक नहीं हो सकती है।(पैरा 15)(976-ई)

2.5 संविधान का अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की मनाही करता है,जो नीरस है, यह उचित वर्गीकरण की मनाही नहीं करता है। हालांकि वर्गीकरण उचित आैर तर्कसंगत भिन्नता पर आधारित होना चाहिए आैर मनमाना नहीं होना चाहिए। यह ऐसा मामला नहीं है जहां कानून की वैधता ही प्रश्नगत हो। आम तौर पर समावेशन का प्रावधान करने वाला कानून अनुच्छेद 14 के आवरण को आकर्षित करने वाला नहीं माना जा सकता है। (पैरा 16, 17, 18) (976-एफ-एचः977 ए)

गुजरात राज्य बनाम श्री अम्बिका मिल्स लिमिटेड व अन्य (1974) 4 एस.सी.सी.656- अनुसरण किया गया।

एम.पी.रूरल एग्रीकल्चर एक्टेंशन ऑफिसर्स एसोसियेशन बनाम मध्यप्रदेश राज्य व अन्य (2004) 4 एस.सी.सी.646; बिहार राज्य व अन्य बनाम बिहार राज्य + 2 व्याख्याता संघ और अन्य (2007) 7 स्केल 697 ; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार ए.आई.आर.1952 एससी 75;राम कृष्ण डालमिया बनाम श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर और अन्य(1959) एस.सी.आर. 279 और अधीक्षक और अनुस्मारक कानूनी मामलों का विभाग, पश्चिम बंगाल बनाम गिरीश कुमार नवलखा व अन्य (1975) 4 एस.सी.सी.754 माने गये-

3.1 कानून मामले के आर्थिक पहलू से संबंधित हैं। जिस कथित उद्देश्य के लिए ऐसा कानून बनाया गया है, उसके प्रावधानों की व्याख्या करते समय उस उद्देश्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नशीली दवाइयों की तस्करी से उत्पन्न होने वाले भारी मात्रा में धन के गठजोड एवं जिस उद्देश्य के लिए वह धन खर्च किया जाता है, वह सर्वविदित है। न केवल नशीली दवाओ के तस्करों को दंडित करने के लिए बल्कि शर्तें पूरी होने पर निवारक निरोध के लिए कठोर कानून बनाये गये। सख्त कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि संबंधित व्यक्तियों द्वारा नशीली दवाओ की तस्करी से अर्जित धन को अन्य बातों के अलावा न केवल अपने नाम पर बल्कि अपने निकट संबंधियों के नाम पर भी चल अचल संपत्ति खरीद कर निवेश नहीं करने दिया जा सके।(पैरा 19)(979-ई-जी)

3.2 यह मामला अपने आप में इस बात पर पर्याप्त प्रकाश डालता है कि संसद ने संपत्तियों की जब्ती की कार्यवाही शुरू करने के मामले में सीमा अवधि के प्रावधानों की प्रयोज्यता को बाहर करना क्यों उचित समझा। (पैरा 19)(979-एचः980-ए)

3.3 हो सकता है किसी व्यक्ति द्वारा केवल एक बार अपराध किया गया हो। वहीं कोई न केवल अपराधी हो बल्कि लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहा हो जबकि पहले वाले मामले में निवारक निरोध का आदेश आवश्यक नहीं हो परंतु बाद वाले मामले में यह

आवश्यक हो सकता है। यद्यपि यह अंतर ठीक प्रतीत होता है परंतु वास्तविक है। (पैरा 20)(980-बी-सी)

संदर्भित-इन री द स्पेशल कोर्टस बिल 1978 (1979)1 एससीसी 380

4. सुस्थापित कानूनी स्थिति के मद्देनजर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 को लागू करने के लिए मामला नहीं पाया गया। जिसमें यह माना जा सके कि वर्ष 2001 में संशोधित अधिनियम की धारा 68 सी का परंतुक इस श्रेणी के मामलों पर भी लागू होगा। (पैरा 22) (982-ई-एफ)

संदर्भित- स्टेट ऑफ गुजरात व अन्य बनाम श्री अंबिका मिल्स लि. व अन्य(1974)4 एससीसी656.

बम्बई उच्च न्यायालय की क्रिमीनल रिट याचिका संख्या 1283/2002 में पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 27.11.2002 से आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः2003 की आपराधिक अपील संख्या 1058

राजू रामचंद्रन, जीएस टिकाले, ई.सी.अग्रवाला, ऋषि अग्रवाला, अमित शर्मा व सौरभ एस.सिन्हा अपीलांट की ओर से

सुषमा सुरी प्रत्यर्थी की ओर से.

एसबी सिन्हा, न्यायमूर्मति द्वारा निर्णय पारित किया गया।

1. इस अपील में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 68 सी से जुड़े परंतुक की वैधता प्रश्न में है, जो कि बम्बई उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 27.11.2002 के एक निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है।

2. मामले का मूल तथ्य विवाद में नहीं है.

3. यहां अपीलकर्ता इकबाल मोहम्मद मेमन की पत्नी है। महाराष्ट्र राज्य द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1988 (पीआईएनडीपीएस अधिनियम) में अवैध तस्करी की रोकथाम के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ हिरासत का आदेश पारित किया गया था। कथित तौर पर, अपीलकर्ता और उसके पति दोनों ने वर्ष 1991 या उसके आसपास भारत छोड़ दिया था। अपीलकर्ता अभी तक भारत वापस नहीं आई है। उनके पति ने स्वीकार किया कि हिरासत के आदेश के अनुसार उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया था। फिर भी, अपीलकर्ता के नाम पर कई संपत्तियां हैं। अधिनियम के अध्याय वीए के संदर्भ में उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसके लिए, उसे 9.5.1995 को एक कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसमें उसे सबूत और/या आय के स्रोत और/या उन चैनलों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिनसे संपत्ति बनाई गई थी। जुहू तारा रोड, सांताक्रूज़ (डब्ल्यू) में मिल्टन अपार्टमेंट में स्टिल्ट पार्किंग नंबर 19 के साथ फ्लैट नंबर 501 और 502 ए का

अधिग्रहण किया गया था, साथ ही यह भी बताया गया था कि उक्त संपत्तियों को "अवैध रूप से अर्जित संपत्ति" क्यों नही मानते हुये केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तगर्त जब्त कर लिया जाना चाहिए ।

4. इसके विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई। दिनांक 10.2.1999 के एक आदेश द्वारा संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया गया था। उनके द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसे 1999 की रिट याचिका संख्या 1867 के रूप में चिह्नित किया गया था। उक्त रिट याचिका को 15.12.1999 के एक फैसले और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था जहां तक फलेट संख्या 501 को जब्त करने का आदेश था। और मिल्टन अपार्टमेंट में 502 और स्टिल्ट पार्किंग का संबंध था।

हालाँकि, तीन बैंक खातों को जब्त करने के संबंध में, मामले को निर्णय के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण को भेज दिया गया था।

5. संशोधन से पहले धारा 68-सी में जोड़ा गया प्रावधान इस प्रकार था:

> "परन्तु इस अध्याय के तहत कोई संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी, यदि ऐसी संपत्ति उस व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई थी जिस पर यह अधिनियम उस तारीख से छह साल की

अवधि से पहले लागू होता है जिस पर उस पर अवैध यातायात से संबंधित अपराध का आरोप लगाया गया था।"

संशोधन के बाद धारा 68-सी इस प्रकार है:

"धारा 68 सी - अवैध रूप से अर्जित संपत्ति रखने पर प्रतिबंध (1) इस अध्याय के प्रारंभ से, किसी भी व्यक्ति के लिए, जिस पर यह अध्याय लागू होता है, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अपने पास रखना वैध नहीं होगा। ओर से।

(2) जहां कोई भी व्यक्ति उप-धारा (1) के प्रावधानों के उल्लंघन में अवैध रूप से अर्जित संपत्ति रखता है, ऐसी संपत्ति इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगी:

परन्तु इस अध्याय के तहत कोई भी संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी यदि ऐसी संपत्ति उस व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई थी जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, उसकी गिरफ्तारी की तारीख से छह साल की अवधि से पहले या जिसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट या प्राधिकरण जारी किया गया है इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का

कमीशन या जिस तारीख से आदेश या हिरासत जारी किया गया था, जैसा भी मामला हो।"

निर्विवाद रूप से, अधिनियम को 2.10.2001 से 2001 के अधिनियम संख्या 9 द्वारा संशोधित किया गया था।

6. कथित संशोधन के संबंध में सुधार के लिए एक आवेदन, अपीलकर्ता द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसके दिनांक 15.2.1999 के आदेश और साथ ही सक्षम प्राधिकारी के दिनांक 20.10.1997 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी।

7. सुधार के लिए कथित आवेदन में, अपीलकर्ता ने निम्नलिखित तर्क उठाए:

1. उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले, सक्षम प्राधिकारी के पास देश से बाहर रहने वाले भारत के नागरिक के खिलाफ उक्त अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही शुरू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

2. यह परंतुक, जैसा कि यह संशोधन से पहले था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे से बाहर था।

उक्त आवेदन को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 20.6.2002 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट

में एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसे 2002 की रिट याचिका संख्या 1283 के रूप में चिह्नित किया गया था।

आक्षेपित निर्णय के आधार पर, उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई है।

8. अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचंद्रन ने शुरुआत में अपीलीय प्राधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए पहले विवाद पर जोर नहीं दिया।

हालाँकि, विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि किसी क़ानून में शामिल किए जाने के माध्यम से किया गया वर्गीकरण अधिनियम की धारा 68 ई के परंतुक को मान्य नहीं करेगा क्योंकि यह 2001 से पहले था क्योंकि ऐसा न करने का कोई वैध या ठोस कारण मौजूद नहीं था। उस व्यक्ति के संबंध में छह साल की परिसीमा अवधि प्रदान करना, जिस पर अवैध यातायात से संबंधित अपराध करने का आरोप लगाया गया था, उस व्यक्ति के संबंध में जिसे निवारक हिरासत के तहत हिरासत में लेने की मांग की गई है।

9. विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि कारण बताओ नोटिस में ऐसा कोई कारण नहीं था जिसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 एच के साथ

पढ़ी जाने वाली धारा 68ई के संदर्भ में दर्ज किया जाना आवश्यक था, और, इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

बेशक, अपीलीय प्राधिकारी का आदेश रिट याचिका का विषय था। यहां उठाए गए तर्क उक्त प्राधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाए गए थे। उच्च न्यायालय के दिनांक 15.12.1999 के आदेश को अंतिम रूप दिया गया।

विचाराधीन फ्लैट राज्य सरकार द्वारा जब्त कर लिए गए। उक्त कार्यवाही को दोबारा खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

10. केवल इसलिए कि बैंक खातों के संबंध में, मामले को रिमांड पर लिया गया था, जिसके लंबित रहने के दौरान, धारा 68सी के साथ जोड़ा गया परंतुक जोड़ा गया था, वही, हमारी राय में, कार्रवाई का एक और कारण उत्पन्न नहीं करेगा ताकि अपीलकर्ता को उन विवादों को उठाने में सक्षम करें जिन्हें वह पिछली कार्यवाही में उठा सकता था और उठाना चाहिए था। यह स्थापित है कि कंस्ट्रक्टिव रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत रिट कार्यवाही पर भी लागू होता है। इसके अलावा, माना जाता है कि इस तरह का कोई विवाद दूसरे रिट आवेदन में भी नहीं उठाया गया है। उक्त प्रश्न के निर्धारण हेतु जिन दस्तावेजों पर विचार किया जाना आवश्यक था वे भी हमारे समक्ष नहीं हैं। इसलिए, हमारी राय है कि हमारे लिए उक्त प्रश्न पर विचार करना संभव नहीं है।

11. धारा 68 सी के साथ जोड़ा गया परन्तुक 1989 से कानून की किताब में था। अपीलकर्ता के पति को वर्ष 1994 में ही हिरासत में लेने का आदेश दिया गया था। अधिनियम की धारा 68 डी के तहत नोटिस वर्ष 1995 में जारी किया गया था।

12. केवल इसलिए कि बाद के चरण में, संपत्तियों को जब्त करने की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक सीमा अवधि निर्धारित की गई थी, वही, हमारी राय में, अपने आप में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि यह लोगों के क्रोध को आकर्षित करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14.

13. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि किसी क़ानून की वैधता को बरकरार रखा जा सकता है यदि उसके लिए एक वैध और उचित वर्गीकरण मौजूद है, जो कि प्राप्त की जाने वाली वस्तु के साथ उचित और उचित संबंध रखने वाले पर्याप्त अंतर पर आधारित है।

14. इस संबंध में, हम कुछ सुस्थापित कानूनी सिद्धांतों पर ध्यान दे सकते हैं। एक कानून संवैधानिक हो सकता है भले ही वह किसी व्यक्ति को प्रभावित करता हो। किसी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में एक धारणा मौजूद है। यह साबित करने का भार कि कानून असंवैधानिक है, उस पर हमला करने वाले व्यक्ति पर है, उन मामलों को छोड़कर, जहां अन्य बातों के साथ-साथ, क़ानून के सामने मनमानी दिखाई देती है और

क़ानून की संवैधानिकता के संबंध में सबूत का बोझ उस पर है राज्य। समानता के सिद्धांत का अर्थ यह नहीं होगा कि प्रत्येक कानून का उन सभी व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग होना चाहिए, जो स्वभाव, उपलब्धि या परिस्थितियों से समान स्थिति में हैं।

15. संसद द्वारा अपने अनुभव को ध्यान में रखते हुए किसी कानून में संशोधन किया जाता है। यह विधायी नीति का मामला है और उस उद्देश्य के लिए केवल असमानता, विवादित प्रावधान की संवैधानिकता का निर्धारण करने का एकमात्र कारक नहीं हो सकती है।

16. जबकि अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की मनाही करता है, यह घिसा-पिटा है, यह उचित वर्गीकरण की मनाही नहीं करता है। {मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य देखें। [(2004) 4 एससीसी 646]; और बिहार राज्य एवं अन्य। वी. बिहार राज्य +2 व्याख्याता संघ और अन्य। [(2007) 7 स्केल 697]।

17. यह न्यायालय पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार [एआईआर 1952 एससी 75] और राम कृष्ण डालमिया बनाम श्री न्यायमूर्ति एसआर तेंडोलकर और अन्य में भी।(1959 एससीआर 279), स्पष्ट रूप से वर्गीकरण का दोहरा परीक्षण निर्धारित किया गया। हालाँकि, वर्गीकरण उचित और तर्कसंगत भिन्नता पर आधारित होना चाहिए और मनमाना नहीं होना चाहिए।

18. यह ऐसा मामला नहीं है जहां क़ानून की वैधता ही प्रश्न में है। आमतौर पर, कम समावेशन का प्रावधान करने वाले किसी क़ानून को अनुच्छेद 14 के प्रकोप को आकर्षित करने वाला नहीं माना जाएगा। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने गुजरात राज्य और अन्य में ऐसा माना था। बनाम श्री अंबिका मिल्स लिमिटेड और अन्य।(1974) 4 एससीसी 656], निम्नलिखित शब्दों में:

> "54. एक उचित वर्गीकरण वह है जिसमें वे सभी शामिल हैं जो समान रूप से स्थित हैं और कोई भी ऐसा नहीं है। सवाल यह है: "समान रूप से स्थित" वाक्यांश का क्या अर्थ है? प्रश्न का उत्तर यह है कि हमें वर्गीकरण से परे देखना चाहिए कानून का उद्देश्य। एक उचित वर्गीकरण वह है जिसमें कानून के उद्देश्य के संबंध में समान रूप से स्थित सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया है। कानून का उद्देश्य या तो लोक बाधा को खत्म करना या कुछ सकारात्मक सार्वजनिक भलाई की उपलब्धि हो सकता है .
>
> 55. एक वर्गीकरण तब अल्प-समावेशी होता है जब वर्ग में शामिल सभी लोग बाधा से दूषित होते हैं लेकिन अन्य लोग भी दूषित होते हैं जिन्हें वर्गीकरण में शामिल नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई राज्य किसी

वैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तियों को लाभ देता है या उन पर बोझ डालता है, लेकिन समान लाभ प्रदान नहीं करता है या समान स्थिति वाले अन्य लोगों पर समान बोझ नहीं डालता है, तो एक वर्गीकरण कम-समावेशी के रूप में बुरा होता है। एक वर्गीकरण तब अति-समावेशी होता है जब इसमें न केवल वे लोग शामिल होते हैं जो उद्देश्य के संबंध में समान स्थिति में होते हैं बल्कि अन्य लोग भी शामिल होते हैं जो समान स्थिति में नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार का वर्गीकरण उन व्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला पर बोझ डालता है जो उन लोगों की श्रेणी में शामिल हैं जो शरारत करते हैं, जिसके लिए कानून का लक्ष्य है। हेरोदेस ने एक विशेष दिन पर पैदा हुए सभी नर बच्चों की मृत्यु का आदेश दिया क्योंकि उनमें से एक किसी दिन उसके पतन का कारण बनेगा, इस तरह के वर्गीकरण का उपयोग किया।

56. इसलिए, पहला सवाल यह है कि क्या व्यवसाय या व्यापार करने वाले और 50 से कम व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों का बहिष्कार वर्गीकरण को समावेशी बनाता है, जब यह देखा जाता है कि सभी कारखाने 10 या

20 व्यक्तियों को रोजगार देते हैं, जैसा भी मामला हो होना, शामिल किया गया है और कानून का उद्देश्य श्रमिकों के कल्याण के लिए अवैतनिक संचय प्राप्त करना है। चूँकि वर्गीकरण में उन सभी को शामिल नहीं किया गया है जो कानून के उद्देश्य के संबंध में समान रूप से स्थित हैं, इसलिए वर्गीकरण, पहली नजर में, अनुचित प्रतीत हो सकता है लेकिन न्यायालय ने उन वास्तविक कठिनाइयों को पहचाना है जिनके तहत विधायिकाएं विधायी प्रक्रिया और समाज दोनों की प्रकृति से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का संचालन करती हैं, जिसे कानून बार-बार नया आकार देने का प्रयास करता है और इसने वर्गीकरण संबंधी असमानता को मूर्त रूप देने वाले सभी कानूनों को अंधाधुंध तरीके से खत्म करने से इनकार कर दिया है। विचाराधीन। श्री न्यायमूर्ति होम्स ने, अल्प-समावेशी वर्गीकरणों के प्रति सहिष्णुता का आग्रह करते हुए कहा कि ऐसे कानून को

न्यायालय द्वारा तब तक परेशान नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह स्पष्ट रूप से यह न देख ले कि कानून के लिए कोई उचित कारण नहीं है जिसके लिए समान बल के साथ उन तक इसके विस्तार की आवश्यकता नहीं होगी।

जिसे यह अछूता छोड़ देता है। तो फिर, विस्तार न करने के उचित कारण क्या हैं? जब किसी अदालत को आर्थिक और कर मामलों से संबंधित क्षेत्रों में अल्प-समावेशी वर्गीकरण करने वाले कानून का सामना करना पड़े तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे अपने फैसले से विधायिका को निष्क्रियता या पूर्णता के बीच चयन करने के लिए बाध्य करना चाहिए?"

इस न्यायालय द्वारा द सुपरिटेंडेंट एंड रिमेंबरेंसर ऑफ लीगल अफेयर्स, पश्चिम बंगाल बनाम गिरीश कुमार नवलखा और अन्य में उक्त रेशो का पालन किया गया था।(1975) 4 एससीसी 754

"8. अक्सर अदालतें मानती हैं कि कम समावेशन अनुच्छेद 14 के तहत कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करता है। सख्त सिद्धांत में, इसमें इस सिद्धांत का परित्याग शामिल है कि वर्गीकरण में उन सभी को शामिल किया जाना चाहिए जो उद्देश्य के संबंध में समान रूप से स्थित हैं। यह अंडर-इनक्लूजन को अक्सर यह कहकर समझाया जाता है कि विधायिका किसी शरारत के कुछ हिस्सों को सुधारने या बुराई की डिग्री को पहचानने और

नुकसान पर हमला करने के लिए स्वतंत्र है जहां वह इसे सबसे गंभीर मानती है।

इसके अलावा यह धारित किया गया था:

"10. एक अल्प-समावेशी वर्गीकरण को उचित ठहराने के लिए दो मुख्य विचार हैं। पहला, प्रशासनिक आवश्यकता। दूसरा, विधायिका पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकती है कि वह जो विशेष नीति अपनाती है वह पूरी तरह से सफल या बुद्धिमान होगी। इस प्रकार इसे लागू करने की मांग की जाती है यह नीति उन सभी के लिए तार्किक रूप से शामिल हो सकती है जो राज्य के प्रयोग करने के अवसर को प्रतिबंधित कर देगी। ये तकनीकें दिखाएंगी कि पूर्ण समानता के लिए कुछ त्याग की आवश्यकता हो सकती है ताकि कानूनी प्रणाली सामाजिक और आर्थिक के लिए नए समाधान विकसित करने के लचीलेपन को बनाए रख सके। समस्याएँ। क्रमिक और टुकड़ों में परिवर्तन को अक्सर वांछनीय और वैध माना जाता है, हालांकि सिद्धांत रूप में इसे कुछ समानता की कीमत पर हासिल किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजकोषीय और नियामक मामलों में अदालत न केवल संवैधानिकता की एक बड़ी धारणा पर विचार करती है, बल्कि इसे स्थान भी देती है। इसकी वैधता को

चुनौती देने वाली पार्टी पर यह दिखाने का बोझ है कि उसके पास वर्गीकरण करने का कोई उचित आधार नहीं है।"

19. क़ानून मामले के आर्थिक पहलू से संबंधित है। जिस कथित उद्देश्य के लिए ऐसा क़ानून बनाया गया है, उसके प्रावधानों की व्याख्या करते समय उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नशीले पदार्थों की तस्करी से पैदा होने वाली भारी धनराशि और उसे जिस उद्देश्य के लिए खर्च किया जाता है, उसका गठजोड़ जगजाहिर है। न केवल नशीली दवाओं के तस्करों को दंडित करने के लिए बल्कि शर्तें पूरी होने पर निवारक हिरासत के लिए भी कठोर कानून बनाए गए। सख्त कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि संबंधित व्यक्तियों द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी से अर्जित धन को अन्य बातों के अलावा, न केवल अपने नाम पर बल्कि अपने निकट संबंधियों के नाम पर भी चल या अचल संपत्ति खरीदकर निवेश न किया जा सके। रिश्तेदार। यह मामला अपने आप में इस बात पर पर्याप्त प्रकाश डालता है कि संसद ने संपत्तियों की जब्ती की कार्यवाही शुरू करने के मामले में सीमा अवधि के प्रावधानों की प्रयोज्यता को बाहर करना क्यों उचित समझा।

20. भारत संघ और महाराष्ट्र राज्य अपीलकर्ता के पति को हिरासत में लेने का आदेश भी नहीं दे पाए हैं। उस प्रकृति के अन्य मामले भी बड़ी संख्या में हो सकते हैं।

एक व्यक्ति ने केवल एक बार अपराध किया हो सकता है, दूसरा न केवल अपराधी हो सकता है बल्कि लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त हो सकता है। जबकि पूर्व में निवारक निरोध का आदेश आवश्यक नहीं हो सकता है, बाद वाले के मामले में, यह आवश्यक पाया जा सकता है। यद्यपि यह भेद ठीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तविक है।

21. इस न्यायालय ने पुनः: विशेष न्यायालय विधेयक, 1978 [(1979) 1 एससीसी 380 । में कहा कि जो अपराध आपातकाल से संबंधित थे, वे अपराधों की एक श्रेणी बनाते हैं, यह कहते हुए:

> "72. बहुत पहले 1960 में, कांगसारी हलदर में इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि अनुच्छेद 14 के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों पर लागू प्रस्ताव "पिछले कुछ वर्षों के दौरान इतनी बार दोहराए गए हैं कि वे अब लगभग निरर्थक लगते हैं"।
>
> लगभग 18 साल पहले जो बात मामूली मानी जाती थी, वह घटनाओं के स्वाभाविक क्रम में आज और भी अधिक मामूली हो गई है, खासकर इस अदालत में मामलों की बाढ़ को देखते हुए। इस न्यायालय के कई विद्वान न्यायाधीशों ने कहा है कि अनुच्छेद 14 के तहत सिद्धांतों के निर्माण में नहीं, बल्कि ठोस मामलों में उनके आवेदन में

आम तौर पर कठिनाइयां पैदा होती हैं। लेकिन, यह देखते हुए कि हम अनुच्छेद 14 के तहत समान मामलों का फैसला करने वाली कुछ पीठों की तुलना में एक बड़ी पीठ में बैठे हैं, और इस संदर्भ में उठने वाले प्रश्नों के विशिष्ट महत्व को ध्यान में रखते हुए, हालांकि प्रश्न स्वयं एक मिसाल के बिना नहीं हैं, हम प्रस्ताव करते हैं, हालांकि निस्संदेह कुछ पुनरावृत्ति की कीमत पर, इस न्यायालय के निर्णयों से उभरे प्रस्तावों को बताना, जहां तक वे हमारे विचार के लिए उठने वाले बिंदुओं के निर्णय के लिए प्रासंगिक हैं। उन प्रस्तावों को इस प्रकार कहा जा सकता है:

न्यायालय ने तेरह प्रस्तावों पर गौर किया, जिनमें से कुछ हैं:

"(2) राज्य को, अपनी सरकारी शक्ति के प्रयोग में, अपनी नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र के भीतर विभिन्न समूहों या व्यक्तियों के वर्गों पर अलग-अलग तरीके से लागू होने वाले कानून बनाने की आवश्यकता है, और इसके लिए उसके पास यह अधिकार होना चाहिए ऐसे कानूनों के अधीन आने

वाले व्यक्तियों या चीजों को अलग करने और वर्गीकृत करने की बड़ी शक्तियाँ।

(3) राज्य को अपने कानूनों की समान सुरक्षा प्रदान करने का संवैधानिक आदेश एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करता है जो किसी सटीक फॉर्मूले के आविष्कार और अनुप्रयोग द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए, वर्गीकरण को व्यक्तियों या चीज़ों के सटीक या वैज्ञानिक बहिष्करण या समावेशन द्वारा गठित करने की आवश्यकता नहीं है। अदालतों को किसी भी मामले में वर्गीकरण की वैधता निर्धारित करने के लिए भ्रामक सटीकता पर जोर नहीं देना चाहिए या सिद्धांत परीक्षण लागू नहीं करना चाहिए।

वर्गीकरण उचित है यदि यह स्पष्ट रूप से मनमाना न हो।

(4) अनुच्छेद 14 की गारंटी में अंतर्निहित सिद्धांत यह नहीं है कि भारतीय क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों पर कानून के समान नियम लागू होने चाहिए या परिस्थितियों में अंतर के बावजूद उन्हें समान उपचार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसका मतलब केवल यह है कि समान परिस्थिति वाले सभी व्यक्तियों के साथ प्रदत्त विशेषाधिकारों और लगाए गए

दायित्वों दोनों में एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। एक ही स्थिति में सभी पर समान कानून लागू करना होगा, और एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए यदि कानून की विषय-वस्तु के संबंध में उनकी स्थिति काफी हद तक समान है।

(5) वर्गीकरण की प्रक्रिया द्वारा, राज्य के पास यह निर्धारित करने की शक्ति है कि कानून के प्रयोजनों के लिए और किसी विशेष विषय पर अधिनियमित कानून के संबंध में किसे एक वर्ग माना जाना चाहिए। निःसंदेह, यह शक्ति कुछ हद तक कुछ असमानता उत्पन्न कर सकती है; लेकिन यदि कोई कानून कई अच्छी तरह से परिभाषित वर्गों की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो यह इस आधार पर समान सुरक्षा से इनकार करने के आरोप के लिए खुला नहीं है कि इसका अन्य व्यक्तियों पर कोई आवेदन नहीं है। इस प्रकार वर्गीकरण का अर्थ उन वर्गों में पृथक्करण है जिनका एक व्यवस्थित संबंध होता है, जो आमतौर पर सामान्य गुणों और विशेषताओं में पाया जाता है। यह एक तर्कसंगत आधार प्रस्तुत करता है और इसका मतलब मनमाने ढंग से

कुछ व्यक्तियों और वर्गों को एक साथ इकट्ठा करना नहीं है।

XXX XXX XXX

(11) वर्गीकरण में आवश्यक रूप से वर्गीकृत व्यक्तियों और उन लोगों के बीच अंतर या भेदभाव करना शामिल है जो उस वर्ग के सदस्य नहीं हैं। यह वर्गीकरण का सार है कि वर्ग पर आम जनता पर थोपे गए कर्तव्यों और बोझों से भिन्न कर्तव्य और बोझ होते हैं। वास्तव में, वर्गीकरण का मूल विचार ही असमानता का है, इसलिए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि असमानता का मात्र तथ्य किसी भी तरह से संवैधानिकता के मामले को निर्धारित नहीं करता है।"

22. जैसा कि ऊपर देखा गया है, स्थापित कानूनी स्थिति के मद्देनजर, हमारी राय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 को लागू करने के लिए हमारे लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है ताकि यह माना जा सके कि वर्ष 2001 में संशोधित प्रावधान भी लागू होगा।

मामलों की वर्तमान श्रेणी पर लागू करें। तदनुसार, अपील लागत सहित खारिज की जाती है। परामर्श शुल्क रु. 50,000/- (केवल पचास हजार रु.) निर्धारित किया गया है । अपील खारिज की गयी ।

चेतावनी : यह अनुवाद आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स टूल 'सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सिमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

चेतावनी : यह अनुवाद आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स टूल 'सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सिमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।